(7)

Form no. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

कृष्णलाल बनाम इन्द्राज आदि

किस्म मुकदमाः–निगरानी अ0धा0 97 पंचायती राज अधि0 प्र0सं0:– 108/2016 जीसीएमएस न.–2024/2016

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए |
|---|---|---|
| 18.11.2024 | पत्रावली वास्ते बहस पेश हुई। वकील निगरानीकर्ता हाजिर। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 ता 3 को भेजे गये नोटिस विधिवत रूप से तामील होने के उपरांत भी हाजिर नहीं आने पर उनके विरूद्व आदेशिका दिनांक 24.09.2024 द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी है।<br>वकील निगरानीकर्ता की बहस सुनी गई। वकील निगरानीकर्ता ने दौराने बहस निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि ग्राम सोमासर में आबादी क्षेत्र में निगरानीकर्ता के पुस्तैनी बाडे में घरू बंटवारा अनुसार 80 गुणा 120 फुट पर कब्जा है तथा मकान बना हुआ है। इसी अनुसार ग्राम पंचायत सोमासर द्वारा मिसल संख्या 198 द्वारा पट्टा संख्या 198 दिनांक 28.01.1990 जारी किया गया। उक्त पट्टा विधिसम्त ही जारी किया गया है। उक्त पट्टे के विरूद्व इन्द्राज पुत्र लक्ष्मणराम जाट साकिन सोमासर तहसील सूरतगढ़ ने आपसी राजनैतिक रंजिश के चलते प्रशासन एवं स्थायी स्थापना समिति में अपील पेश कर दी जिससे समिति ने बैठक दिनांक 21.10.2014 प्रस्ताव संख्या 18 मिसल संख्या 3/16.03.2011 में निर्णय पारित करते हुए ग्राम पचांयत में रिकार्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण निगरानीकर्ता का जैर निगरानी पट्टा खारिज कर दिया। जैर निगरानी भूखण्ड़ पर आज भी निगरानीकर्ता का कब्जा है जिसे समिति ने अपने निर्णय में भी स्वीकार किया है। रिकार्ड संधारण करना ग्राम पंचायत का दायित्व है। रिकार्ड नहीं मिलने के कारण पट्टे धारक का पट्टा खारिज नहीं किया जा सकता। इस प्रकार समिति द्वारा विधिविरूद्व तौर पर निर्णय पारित किया गया है, जिसे निरस्त किया जावे।<br>वकील निगरानीकर्ता की बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में ग्राम पंचायत सोमासर द्वारा निगरानीकर्ता के पिता घेरूराम के नाम से जरिये मिसल संख्या 198 दिनांक 28.01.1990 को पट्टा संख्या 198 जारी किया गया। प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति के जैर निगरानी निर्णय में उक्त भूखण्ड़ पर निगरानीकर्ता का कब्जा होना अंकित किया है। प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति ने अपना जैर निगरानी निर्णय में रिकार्ड उपलब्ध ना होने को आधार मानकर जैर निगरानी पट्टा खारिज किया है, जो विधि सम्मत नहीं है। प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति का जैर निगरानी निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है।<br>अतः निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाती है तथा प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति की बैठक दिनांक 21.10.2014 प्रस्ताव संख्या 18 मिसल संख्या 03/16.03.2011 अनवान इन्द्राज बनाम घेरूराम व ग्राम पंचायत सोमासर में पारित निर्णय खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति सहित पंचायत समिति सूरतगढ़ का अभिलेख वापिस लौटाया जावे। निर्णय की प्रति विकास अधिकारी पंचायत समिति सूरतगढ़ एवं ग्राम पंचायत सोमासर को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दफ्तर हो।<br>आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br>Signature Not Verified<br>Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara<br>Date: 2024.11.28 18:10:48 IST<br>Reason: SelfAttested<br>(कन्हैया लाल सोनगरा)<br>अतिरिक्त जिला कलक्टर<br>सूरतगढ़ | |



Scanned with OKEN Scanner